REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, U.P, LUCKNOW

IN THE MATTER OF:-

ORIGINAL APPLICATION NO. 102/2019

ASHISH KUMAR DIXIT
VERSUS
STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE	1-16
2.	Annexure - 1	17-22
3.	Annexure – 2	23-25
4.	Annexure - 3	26-29
5.	Annexure - 4	30-42

UPDATED REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE IN COMPLIANCE OF ORDER OF HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PASSED IN O.A. NO. 102/2019 IN RE: ASHISH KUMAR DIXIT VERSUS STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. WITH REGARD TO VIOLATION OF THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981, THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974, AND THE ENVIRONMENT (PROTECTION) ACT, 1986, BIOMEDICAL WASTE MANAGEMENT RULES, 2016 AND SOLID WASTE MANAGEMENT RULES, 2016

***

Introduction

The Hon'ble NGT in O.A. No. 102/2019 vide order dated 24.01.2019 has taken up the issue of damage to environment due to unauthorized operation of marriage halls, nursing homes, clinics, hospitals, commercial complexes, hotels and other commercial establishments without requisite prior NOC/Consent to Operate from the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) in the Districts of Banda, Mahoba and Chitrakoot, in clear violation of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, Water(Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Environment (Protection) Act, 1986, Biomedical Waste ManagementRules, 2016 and Solid Waste Management Rules, 2016. The UPPCB was directed to look into the matter in the first instance in exercise of its statutory powers and take such appropriate action as may be found necessary in accordance with law and furnish a factual and action taken report to the Hon'ble Tribunal. Also, UPPCB was directed to inter-alia examine the issues of disposal of municipal solid waste, plastic waste, sewage, biomedical waste, norms of noise pollution, and groundwater extraction.

Further, the report furnished by UPPCB was considered by the Hon'ble NGT in its order dated 10.05.2019. As per the report the district wise hotels found non-complying with the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981 was as follows:

District	No. of Hotels
Banda	11
Chitrakoot	05
Hamirpur	11
Mahoba	07

All the Government hospitals had valid authorization. The authorization status of Non-Government Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities was as follows:

District	**Total no. of Non-Government Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities**	**No. of authorized units**	**No. of non-authorized units/authorization is in process**
Banda	57	42	15
Chitrakoot	19	11	08
Hamirpur	20	19	01
Mahoba	39	03	36

The report clearly acknowledges violation of law, including commission of criminal offences under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. However, this report does not cover marriage places/banquet halls. The Hon'ble NGT inferred that it is "either incompetence of the UPPCB to enforce the law or collusion with the law violators resulting in failure of rule of law. This may call for action against the concerned office bearers of the UPPCB and the UPPCB as an institution". The Hon'ble NGT directed the MemberSecretary, UPPCB to remain present in person with the compliance report on the next date.

On 24.07.2020, in the presence of Member Secretary, UPPCB, the Hon'ble NGT observed as follows:

1. "The fact remains that the UPPCB is pleading incapacity to discharge its statutory responsibility even if it may result in lawlessness".
2. "A plan be prepared for utilizing the environment restoration fund with the approval of CPCB within one month. The expenditure may include hiring of experts and consultants,

expanding air and water quality monitoring network, procurement of scientific equipments, undertaking restitution remediation and specialized studies on contaminated sites so that there is effective oversight for enforcement of law. Under no circumstances these funds be spent on salaries, logistics etc".

3. "Let the Chief Secretary, UP review the situation and furnish a report in the matter within one month from today". No report had been furnished by the Chief Secretary, U.P. in the term of this direction.

The report of UPPCB proposed to spend the environment restoration fund inter alia on establishment of pollution control rooms which was in a way a capital investment. The Hon'ble Tribunal directed to use the environmental restoration funds for restoration of the environment such as strengthening vigilance mechanism, setting up of laboratories, for monitoring of environment, coordination with the District Magistrates to prepare District Environment Plans, hiring of experts and consultants, undertaking remediation and study of contaminated sites etc. Thus, the UPPCB was directed to revisit its plan and the CPCB was directed that they may oversee preparation of such action plan in the light of earlier orders of this Tribunal.

Compliance report received from UPPCB

As per the compliance received from UPPCB dated 23.09.2020, they have submitted revisited action plan to CPCB vide letter dated 17.09.2020. They have also conducted meeting of Chairman and Member Secretary CPCB with Chairman and Member Secretary of UPPCB through video conferencing on 25.08.2020. The district-wise compliance status is as follows:

	Status on 08.10.2020				**Status on 11.01.2021**			
District	**Banda**	**Mahoba**	**Chitrakoot**	**Hamirpur**	**Banda**	**Mahoba**	**Chitrakoot**	**Hamirpur**
Total no. of banquet halls	42	25	23	11	42	25	23	11
No. of banquet halls in non-compliance	42	25	23	11	42	25	23	11
EC imposed on non-complied banquet halls (in Lakhs)	63.6875	33.75	19.3125	15.125				

Bio-medical waste management rule, 2016: Total no. of Gov. hospitals	55	21	36	42	55	21	36	42
Total no. of authorized Gov. hospitals	55	21	36	42	55	21	36	42
Total no. of private health care facilities	58	78	26	25	58	78	26	25
Total no. of authorized private health care facilities	48	09	22	21	48	09	22	21
Total no. of private health care facilities whose authorization has been cancelled and charged with environmental damages	10	69	04	04	10	69	04	04
Total no. of private health care facilities whose authorization applications have been cancelled	-	10			-	10		
Notice issued to Nagar Palika and Parishad under Solid waste management Rule, 2016	08	05	03	07	08	05	03	07

District	**Compliance**
Banda	• The disposal of Bio-medical waste is done by authorized CBWTF i.e M/s MPCC Bijauli Jhansi. • Show cause notice had been issued to unauthorized private hospitals/pathology/clinic by Board under section 5 of EP Act 1986 on 11.07.2019. On 16.10.2019, EC of 1164000 Rupees has been imposed and on 10.08.2020 letter has been issued for the collection of EC imposed. • DM Banda Mr. Anand Kumar Singh informed that there are 2 Nagar PalikaParishads namely Banda and Atarra and 6 Nagar Panchayats in Banda namely Mataundh, Tindwari, Naraini, Bisanda, Beberu and Oran in District Banda. For the non-compliance of Rule 22 of Solid Waste Management Rules 2016 the show cause notice to the ULBs had been issued in exercise of the power under Section 5 of Environment Protection Act 1986 on 01.10.2019. For the construction of STPs in all

the ULBs land has been identified and acquired. The work of preparation of DPRs and construction of boundary wall is under process.

	Name of ULB	Issued amount (Total amount-Rs 26936000)	Work progress	
1	Nagar Palika Parishad Banda	3367000	Nil	Gata no. 1481/1 an area of 10000 m^2 has been identified for acquisition in gram sabha Hateti Purva and work of tendering for construction is in progress.
2	Nagar Palika Parishad Atarra	3367000	40%	Gata no. 7856 an area of 0.2470 hectare in Atarra has been acquired. On 02.09.2020 tenders have been called and on 14.09.2020 work orders have been issued. Construction work is in progress.
3	Nagar Panchayat Beberu	3367000	70%	Gata no-556 an area of 0.207 hectare in gram Acchah has been acquired and construction work is in progress.
4	Nagar Panchayat Naraini	3367000	100%	Gata no- 99 an area of 0.2270 hectare in gram Kharooach has been acquired and 100% construction work has been done.
5	Nagar Panchayat Tindwari	3367000	100%	Gata no- 499 an area of 0.3500 hectare in Bahadurpur gram sabha at Jamuva has been acquired and 100% construction work has been done.
6	Nagar	3367000	70%	Gata no- 605 an area of 0.498

	Panchayat Bisanda			hectare in gram Amva has been acquire and construction work is in progress.
7	Nagar Panchayat Oran	3367000	10%	Gata no-1935 an area of 0.1940 hectare in gram Banda Oran has been acquired and construction work is in progress.
8	Nagar Panchayat Mataundh	3367000	80%	Gata no-1857 an area of 0.479 hectare barren land of Nagar Panchayat Mataundh has been acquired and construction work is in progress.

*In Director Urban Local Body Directorate's allotment order no-PMU/2937/427(8)2019 Lucknow dated 07.11.2019 Nagar Palika Parishad Banda has been allotted Rs 3 Crores for the construction of Solid Waste Treatment Plant.

*Gata No- 1481/1 in Gram Hatetipurva a land of 1 hectare has been identified and letter has been written to CNDS to prepare a DPR.

- Directions have been given under the Solid Waste Management Rules 2016 to all the Nagar Palika/ Nagar Panchayat of the districts.
- Shri Anand Kumar Singh, DM Banda informed that there are total 42 Banquet Hall/Marriage hall, Mall and restaurants/Hotels/Lodge in Banda and all 42 are not complying with Water Act 1974 and under section 33A a total EC of 6,368,750 Rupees has been imposed by UPPCB and notices have been sent. However, no RC has been issued against the defaulting Banquet Hall/Marriage hall, Mall and restaurants/Hotels/Lodge. Considering the directions of Oversight Committee NGT, under the Chairmanship of Shri Anand Kumar Singh, DM Banda a meeting was conducted with hoteliers and industry on 25.11.2020 in which city magistrate, Chief medical officer, Banda and Executive officers of ULBs participated.

	• DM Banda informed that they are working on collection of EC in the form of Land Revenue • The meeting of all the entrepreneurs was conducted on 06.01.2021 in which all the hotel entrepreneurs were made aware of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1987 and Solid Waste Management Rules 2016. Also, they were informed that they need to take NOC prior to establishment and water and air consent. • The tapping of drains falling into the Ken River has been done and near village Kanvara a STP of 4MLD capacity oxidation pond type had also been constructed by UP Jal Nigam. Presently it is non-operational. To call for the last status of the STP letter was sent to the Executive Engineer UP Jal Nigam Banda on 08.12.2020. On 07.01.2021 collector Banda, UP Jal Nigam Banda and UPPCB, Banda had jointly inspected the STP in which oxidation pond was found close/non-operational. In compliance to the above-mentioned issue Regional Officer Banda had issued notice to the commercial units, attaching therewith the notice issued from Board Headquarter on 07.01.2021. A copy of the notice has also been sent to chief Environmental officer UPPCB. • Detailed compliance report received from DM Banda is annexed as **Annexure 1** • **It is clear from the inspection and the compliance submitted by DM Banda that since 2017 the STP (oxidation pond) is non-operational and untreated drain water is continuously being discharged into River Ken.**
Chitrakoot	• The disposal of Bio-medical waste in District Chitrakoot is done by authorized CBWTF (M/s SangamMediserve, Prayagraj. • Show cause notice had been issued to unauthorized private hospitals/pathology/clinic by Board under section EP Act 1986 under section (5) on 11.07.2019.

	• ShriSheshmaniPande, DMChitrakoot informed that there are 2 Nagar PalikaParishads namely Karwi and Manikpur and 1 Nagar PanchayatsRajapur in District Chitrakoot. Due to non-compliance of Solid Waste Management Rules 2016 section 22 in time under the Environment Protection Act 1986 section (5) show-cause notice has been issued to all the ULBs on 01.10.2019. For the construction of STPs in all the ULBs land has been identified and acquired. The work of preparation of DPRs is under process. • In compliance to the letter no.- 35994/NGT cell-37/2019 dated 16.05.2019 of the UPPC Board Headquarter Lucknow, Regional Officer and Assistant Scientist had surveyed the Banquet Hall/Marriage hall, Mall, restaurants/Hotels/Lodge and hospitals pathologies and clinics of the district and sent their report to the headquarter. Accordingly EC of 1,931,250 Rupees was imposed on total 23 Banquet Hall/Marriage hall, Mall, restaurants/Hotels/Lodge under section 33A of Water Act, 1974. A letter from the Board Headquarter via registered post has been sent to the Banquet Hall/Marriage hall, Mall, restaurants/Hotels/Lodge representatives. • As per the directions of Oversight Committee NGT, entrepreneurs have been called for meeting on 19.10.2020 in which hotel entrepreneurs were made aware of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1987 and Solid Waste Management Rules 2016. Also they were informed that they need to take NOC prior to establishment and water and air consent.
Mahoba	• The disposal of Bio-medical is done by authorized CBWTF (M/s MPCCBijauli Jhansi) • Show cause notices had been issued to unauthorized private hospitals/pathology/clinic by Board under section EP Act 1986 under section (5) on 11.07.2019. There are 10 unauthorized Ayurvedic

	hospitals which have been issued show-cause notice and other 59 have been issued show-cause notice under EPA-1986 Section 5 and State board Lucknow on 10.08.2020 had issued an EC of Rs 68,67,600. These 59 unauthorized Hospitals have submitted a letter in the Board Headquarter and in regional office Banda to waive off the EC imposed. Regional office Banda had submitted the reports to board headquarter on 28.11.2019 and 20.06.2020in this matter and decision from the Board is awaited. All the 59 private hospitals/clinic are Ayurvedic, Unani and Homeopathic clinics. • There are 2 Nagar PalikaParishads namely Mahoba, and Charkhari and 3 Nagar PanchayatsKabrai, Kharela and Kulpahar in District Mahoba. Due to non-compliance of Solid Waste Management Rules 2016 section 22 in time under the Environment Protection Act 1986 section (5) show cause notice has been issued to all the ULBs on 01.10.2019. For the construction of STPs in all the ULBs land has been identified and acquired. The work of preparation of DPRs is under process. • In compliance to the letter no.- 35994/NGT cell-37/2019 dated 16.05.2019 of the Board Headquarter Lucknow, Regional Officer and Assistant Scientist had surveyed the Banquet Hall/Marriage hall, Mall, restaurants/Hotels/Lodge and hospitals pathologies and clinics of the district and sent their report to the headquarter. Accordingly, EC of 3,375,000 Rupees was imposed on the Banquet Hall/Marriage hall, Mall, restaurants/Hotels/Lodge under section 33A of Water Act, 1974 on 08.07.2019. For the recovery of EC in the form of RC notice have been issued on 20.11.2020 and 07.01.2021. • A letter from the Board Headquarter via registered post has been sent to the Banquet Hall/Marriage hall, Mall, restaurants/Hotels/Lodge representatives. • Considering the directions of Oversight Committee NGT, under the

	Chairmanship of DMMahoba meeting was conducted on 24.11.2020 in which hotel businessman, city magistrate, Chief medical officer, Mahoba and Executive officers of ULBs. • As per the directions of Oversight Committee NGT, entrepreneurs have been called for meeting on 26.12.2020 and 06.01.2021 in which hotel entrepreneurs were made aware of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1987 and Solid Waste Management Rules 2016. Also they were informed that they need to take NOC prior to establishment and water and air consent. • The Nagar Palika Parishad Mahoba had identified land of 1.6 hectare for the construction of Sanatry landfill and processing unit. The tendering for construction of boundary wall has been called. Nagar Palika Parishad Charkharia land of 1 hectare and 0.441 hectare, 1 hectare in Nagar Panchayat Kharela andKabrai, respectively has been identified. The work of boundary construction is in progress. • Nagar Panchayat Kulpahar had identified 1.06 hectare land for sanitary landfill and processing unit and work of constructing boundary wall has been finalized. • **MRF Center:** Nagar Palika Parishad Mahoba and Nagar Panchayat Kulpahar have completed MRF centre construction and sanitary workers are performing the waste segregation process. Work of constructing the MRF center is in process in Nagar PalikaParishadCharkhari and Nagar PanchayatKharela andKabrai. Segregation of waste is being done in temporarily MRF center by the workers. • **Composting pits:** In all the ULBs of the district for the composting of the wet waste organic composting facilities are being prepared in the MRF centers.

	• **Dore to door source segregation bins: Tenders have been called** to purchase bins in Nagar Palika Parishad Mahoba, Charkhari and Nagar Panchayat Kharela Kulpahar. Nagar PanchayatKabrai had purchased the bins for door to door segregation of waste. • **Legacy waste: For the disposal of legacy waste of all the local bodies of District Mahoba the process of buying the mini trommel machine is in process. At present the waste is being decomposed using inoculum liquid.** • **Detailed compliance report received from DM Mahoba is annexed as Annexure- 2** • In compliance to the above-mentioned issue Regional Officer Banda had issued notice to the commercial units, attaching therewith the notice issued from Board Headquarter on 07.01.2021. A copy of the notice has also been sent to chief Environmental officer UPPCB.
Hamirpur	• The disposal of Bio-medical waste is done by authorized CBWTF (M/s MPCC, Kanpur) • Show cause notice had been issued to unauthorized private hospitals/pathology/clinic by Board under section 5 of EP Act 1986 under section (5) on 11.07.2019. Notice been issued against 4 unauthorized pathologies on 12.01.2021 to get themself register with the CBWTF M/s MPCC. Out of four Vardhaman Pathologies Bada Chauraha Modaha, Hamirpur had got registered with CBWTF. • There are 3 Nagar PalikaParishads namely HamirpurRath and Maudaha and 4 Nagar Panchayats namely Kurara, Gohand, Sarila and Sumerpur in District Hamirpur. Due to non-compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 section 22 in time under the Environment Protection Act 1986 section (5) show-cause notice has been issued to all the ULBs on 01.10.2019. For the construction of STPs in all the ULBs land has been identified and acquired. The work of preparation of DPRs is under

process.

	Name of ULB	
1	Nagar Palika Parishad Hamirpur	Gata no. 251/1 an area of 0.655 hectare land is available and boundary work has been done.
2	Nagar Palika Parishads Rath	Gata no. 230 an area of 1.052 hectare the actions are being taken to do the construction work.
3	Nagar Palika Parishads Maudaha	Gata no-2936B/2954 an area of 1.489 hectare land is available and boundary work has been done.
4	Nagar Panchayats Kurara	Gata no- 1177 an area of 1.044 hectare the actions are being taken to do the construction work.
5	Nagar Panchayats Gohand	Gata no- 1462an area of 0.50hectare land is available and boundary work has been done.
6	Nagar Panchayats Sarila	Gata no- 2387an area of 0.162 hectare land is available and boundary work has been done.
7	Nagar Panchayats Sumerpur	Gata no-3562 an area of 4.00 hectare the actions are being taken to do the construction work.

- **MRF Center: In** Nagar Palika Parishad namely Hamirpur, Rath and Maudaha and Nagar Panchayatsnamely Gohand, Sarila and Sumerpur the work of construction of MRF centers is in progress. In Nagar Panchayats Kurara land has been identified for construction of MRF center and essential actions are in progress. Temporary waste segregation is being done.
- **Composting Pit: In** Nagar Palika Parishad namely Hamirpur, Rath and Maudaha and Nagar Panchayats namely Gohand, Sarila, Kurara and Sumerpur preparation of temporary organic composting is in process.
- **Door to Door Waste segregation:** In Hamirpur District, all 124 wards of the ULBs source segregation of waste are being done.
- **Detailed compliance report received from DM Hamirpur is annexed as**

	Annexure-3. • Due to non-compliance of water pollution control measures under Water Act, 1974 section 33A EC of 1,512,500 Rupees was imposed on the Banquet Hall/Marriage hall, Mall, restaurants/Hotels/Lodge. A letter from the Board Headquarter dated 08.07.2029 via registered post has been sent to the Banquet Hall/Marriage hall, Mall, restaurants/Hotels/Lodge representatives. • The UPPCB had issued notice in this regard on 20.11.2020 and 07.01.2021.
In compliance to the order of Hon'bleNGT dated 10.05.2019	• To spread awareness among all entrepreneurs, detailed information was also published in "DainikJagaran" and "AAJ" on 22.11.2020 and Board headquarter had advertised on 08.10.2020. • Member Secretary, UPPCB had filed an affidavit. On 23.09.2019 under the Chairmanship of Chief Secretary, Uttar Pradesh a meeting was conducted to check the compliance in the above-mentioned order. Board Headquarter had drafted an action plan which has been sent to Hon'bleNGT and UPPCB via Chief Secretary, Uttar Pradesh. • In compliance to the above-mentioned issue Regional Office Banda had issued notice to the commercial units, along with they have attached the notice issued from Board Headquarter on 20.11.2020. A copy of the notice has also been sent to chief Environmental officer UPPCB.

Compliance report received from RO Banda is annexed as **Annexure 4**.

Recommendations

In the view of the above we recommend as follows:

1. Member Secretary UPPCB vide his affidavit dated 11.07.2019 before NGT had mentioned that while they have issued notices to all the 23 ULBs in this region to establish Municipal Solid Waste Treatment Plant, some progress has been made in this

regard but the pace of the progress in this direction is very slow. The UPPCBmay be directed to levy Environment Compensation on all 23 ULBs in this region, who have not established Municipal Solid Waste Treatment Facility (MSWTF) as per Hon'bleNGT directives in OA No. 209/2019 dated 26.02.2020 for violation of MSW Rules. It will accordingly beat the rate of Rs. 10 lakh per month per Local Body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per Local Body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other Local Body till compliance.

2. NGT in its order dated 15.07.2019 had discussed in detail the cases of Hotels and Health Care Facilities in Districts Banda, Chitrakoot, Hamirpur and Mahoba which are running without Pollution NOC/ Consent to Operate.Though there have been some complianceas mentioned above in this report, yet there are still a number of non-compliant establishments (specially marriage Halls) running with impunity in total disregard to the provisions of Environmental Laws. In such cases we are left with little choice other than to recommend punitive enforcement action against defaulters as provided in law. The State Pollution Control Board may be directed to serve closure notice to all the non-complying Hotels and Commercial Establishments with the condition that they may regularize the defects pointed out within a period of 45 days failing which the closure notice shall come into operation. Similar notices be also served on all nursing homes/ clinics/ hospitals/ blood banks operating without authorization and also to all marriage halls which have not taken consent under Air/Water Act. The UPPCL may be directed to disconnect their electricity connections within 30 day of the closure order issued by UPPCB.

3. In district Mahoba, for the recovery of EC in the form of RC notice has been issued on 20.11.2020 and 07.01.2021. However, in other districts, no such action has been taken so far. The UPPCB should ensure imposition and realization of EC on non-compliant marriage halls, nursing homes, clinics, hospitals, commercial complexes, hotels and other commercial establishments, within a month, failing which steps, in accordance with law, be taken for realization of EC without further delay. Also, prosecution may be initiated if any further delay is being made.

4. This case initially pertained to Districts Banda, Mahoba and Chitrakoot. However at the time of compilation of reports, report of District Hamirpur was also sent where this problem is present in equal measure. This leads us to the inference that hotels, marriage halls, commercial establishments and HCFs all over the State may be running without Pollution NOC/ Consent to Operate. It would be worthwhile if this exercise is extended to other districts as well.
5. After more than one year of specific directives by NGT, there is very little compliance in all the four Districts of the Division. This leads us to infer that either there is total apathy of the executing officers or there may be some infrastructural impediments or common issues which need higher level intervention. The Commissioner, Chitrakoot may be directed to conduct enquiry in this regard and ensure compliance of NGT directions.
6. As directed by Hon'bleNGTUPPCB had to revisit its environment restoration plan for approval of CPCB. UPPCB has mentioned that they have sent the revised plan to CPCB. UPPCB may send a copy of the CPCB approved environment restoration plan to NGT with a copy to the Oversight Committee.
7. Despite NGT's directions of 15.07.2019, Chief Secretary has not sent any report in this regard so far. He may be directed to review the situation and furnish report positively within one month.
8. The Districts Magistrates, Chairman of State Ground Water Authority may be directed to ensure that no commercial complex (marriage halls, nursing homes, clinics, hospitals, commercial complexes, hotels and other commercial establishments) should function without NOC required under law to take approval for groundwater extraction for drinking and other purposes as per the orders of Hon'ble NGT dated 20.07.2020 in O.A. No. 176 of 2015 "There must be **no general permission for withdrawal of groundwater, particularly to any commercial entity, without environment impact assessment of such activity on individual Assessment units in cumulative terms covering carrying capacity aspects by an expert committee.** Such permission should as per Water Management Plans to be prepared in terms of this order based on mapping of individual assessment units. Any permission should be for specified time and for specified quantity

of water and not in perpetuity, and be necessarily subject to digital flow meters which cannot be accessed by proponents, with mandatory annual calibration by authorized agency at proponents' cost". State Groundwater Authority may be directed to ensure compliance of NGT's orders and submit a comprehensive report to NGT through the Oversight Committee in the next 3 months.

9. District Magistrate concerned who have submitted reports that the Bio Medical Waste of their District is send to facility at Bijauli Jhansi or Prayagraj be directed to ensure that the waste so send is being treated at the facility and not being dumped there. They should get it inspected and file a certificate to the effect that the waste is being properly treated there.

The Member Secretary, UPPCB is directed to send this report to the Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi for placing the same before the Hon'ble Tribunal with a copy to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh for necessary action. The report also be uploaded on the website of the Committee.

21-01-2021	21-01-2021
X Anup Chandra Pandey	X SVS Rathore
Dr Anup Chandra Pandey Member, Oversight Committee Signed by: ANUP CHANDRA PANDEY	Justice SVS Rathore Chairman, Oversight Committee Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

January 21, 2021

Annexures: As above

Please visit our website: ***oscngt.upsdc.gov.in*** for more information.

माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में समय-समय मे पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0टी0 द्वारा गठित ओवर साइट समिति के द्वारा दिनांक- 08.10.2019 को वीडियों कान्फेसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश एवं दिनांक 11.01.2021 को समय 11:00 बजे वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में जनपद-बॉदा से सम्बन्धित अनुपालन आख्या का विवरण निम्नवत् है-

माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के द्वारा दिये गये निर्देश जिसका प्रमुख अंश निम्न है-

1- All the stockholders should be called for a meeting under the chairmanship of DM concerned are any senior officer authorized by him to inform and train the stockholders.	1 माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार जिलाधिकारी, बॉदा की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2020 को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहुत की गई जिसमें होटल व्यवसायी, नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बॉदा एवं स्थानीय निकाय के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सभी उद्यमियों को होटल व्यवसाय हेतु लागू नियम जैसे जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974, वायु प्रदूषण (नियंत्रण व निवारण) अधिनियम-1987 व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2016 एवं उद्योग की स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र व संचालन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण जानकारी दी गई है एवं दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" व "आज" के माध्यम से दिनांक 22.11.2020 व बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.10.2020 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई थी। 2. माननीय ओवर साइट कमेटी एवं जिलाधिकारी, बॉदा के आदेशानुसार जनपद-बॉदा में स्थापित वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के उद्यमियों के साथ दिनांक 07.01.2021 को पुनः बैठक की गई जिसमें उक्त व्यवसाय के संघ के पदाधिकारियों को उक्त व्यवसाय से सम्बन्धित सभी पर्यावरणीय नियमों की बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा के द्वारा जानकारी दिया गया है।
2. Post of meeting and training session the stockholders should be given one more time to implements all the management practices. In their respective	1. जनपद बॉदा में स्थापित/संचालित मैरिज हाल, कामर्शियल काम्पलेक्स, होटल से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु उचित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित न किये जाने के कारण वैंकेट हाल एवं मैरिज हॉल-21, मॉल-03 व होटल रैस्टोरैंट-18 सहित कुल-42 उद्योगो के विरूद्ध जल अधिनियम-1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0- 63,68,750.0

business modes. What is the current status in this regard?	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है तथा बोर्ड मुख्यालय के स्तर से पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस उद्योग प्रतिनिधि को प्राप्त करा दी गई है। जिलाधिकारी, बॉदा के निर्देशानुसार मैरिज हाल, कामर्शियल काम्पलेक्स, होटल व्यवसायी को पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा के द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
3. Committee would also like to know that after more than one year of specific directions by NGT there is very little compliance in all the four district of all division. This leads us to infer that either there is total apathy of the executing officers or there may be some infrastructural impediments are common issues which need hard level intervention.	1. जनपद बॉदा में अच्छादित 02 नगर पालिका परिषद व 06 नगर पंचायत के द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निस्तारण हेतु भूमि का चयन न होने की स्थिति में राज्य बोर्ड के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा(5) के अन्तर्गत अनुपालन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2019 को उक्त सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में सभी नगर पालिका व नगर पंचायत के द्वारा जमीन का चिन्हांकन कर बाउण्ड्रीवाल आदि का कार्य एवं कार्य योजना का कार्य प्रगति पर है। 2 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुपालन में जनपद बॉदा में स्थापित/संचालित प्राईवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, पैथॉलाजी सं0-58 चिन्हित है, जिसमें से 48 को प्राधिकार निर्गत किया गया है तथा आयुर्वेदिक अस्पताल-10 को प्राधिकार न लेने के कारण पर्यावरण अधिनियम-1986 की धारा-5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी की गई है तथा राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 16.10.2019 को प्राधिकार न प्राप्त होने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0-11,64,000.0 अधिरोपित की गई है, जिसकी वसूली हेतु क्षेत्रीय कार्यालय बॉदा द्वारा दिनांक 10.08.2020 को पत्र प्रेषित किया गया । 3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुपालन में जनपद बॉदा में स्थापित/संचालित सरकारी अस्पताल, पैथॉलाजी सं0- 55 चिन्हित है, जिसमें से 55 को प्राधिकार निर्गत किया गया है। 4 जनपद-बॉदा के अन्तर्गत उक्त सभी प्राइवेट व सरकारी नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निरस्तारण हेतु बोर्ड द्वारा

अधिकृत सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (मैसर्स एम0पी0सी0सी0 बिजौली झांसी) से सम्बद्ध है। जिसके द्वारा सभी सरकारी व प्राइवेट अनुबन्ध प्राप्त नर्सिंगहोम व अस्पताल से जनित वेस्ट को नियमानुसार उठाया जा रहा है व उसको भष्मीकरण सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी मे0 एम0पी0सी0सी0 बिजौली झांसी द्वारा किया जा रहा है। जिसका अनुश्रवण मुख्य चिकित्साधिकारी, बॉदा एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा किया जाता है।

5 जनपद– बॉदा में उ0प्र0 जल निगम बॉदा द्वारा ग्राम– कनवारा के निकट स्थित 4.0 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (आक्सीडेशन पाण्ड आधारित) का निर्माण वर्ष 2008 में पूर्ण कर चालू किया गया। जो निरन्तर रूप से माह दिसम्बर 2017 तक कियाशील रहा। जिलाधिकारी बॉदा, जल निगम एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 07.01.2021 को किया गया है निरीक्षण के समय तथ्य प्रकाश में आया कि रेलवे विभाग द्वारा एस0टी0पी0 पर आ रही राइजिंगमेंन को वर्ष 2017 में अण्डर पास बनाते समय ध्वस्त कर दिया गया था। ध्वस्त राइजिंगमेंन को पुर्नस्थापित करने हेतु रेलवे विभाग द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 08.01.2020 द्वारा राइजिंगमेंन की पुर्नस्थापना से पूर्व रेलवे को रू0 96.69 लाख की धनराशि वे–लीव चार्जेज के रूप में जमा किया जाना है। राइजिंगमेंन की पुर्नस्थापना हेतु प्रेषित प्राक्कलन के सापेक्ष उ0प्र0 शासन द्वारा रू0 240.57 लाख की धनराशि जनवरी 2020 में स्वीकृत की गयी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 39.05 लाख अवमुक्त किये गये है जो रेलवे विभाग द्वारा वॉछित वे–लीव चार्जेज रू0 96.96 लाख से कम है। जिससे स्पष्ट है कि प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि से रेलवे विभाग को वे–लीव चार्जेज का सम्पूर्ण भुगतान नहीं किया जा सकता है। अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र दिनांक 17.01.2021 तक शासन को उपलब्ध कराया दिया जायेगा। जिसके उपरान्त ही द्वितिय किस्त की धनराशि से रेलवे विभाग के शेष वे–लीव चार्जेज का भुगतान किया जा सकेगा। उ0प्र0 जल निगम के द्वारा दिनांक 08.01.2021 को प्रेषित पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार उक्त राइजिंगमेंन की पुर्नस्थापना हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से फर्म मैसर्स वर्धमान इंजिनियरिंग वर्क्स, नई दिल्ली के साथ दिनांक 24.11.2020 को अनुबन्ध गठन

	की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। रेलवे विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने के उपरान्त उक्त राइजिंगमेन पुर्नस्थापना के कार्यों को 40 दिन में पूर्ण कर एस0टी0पी0 को कार्यशील किया जायेगा।

2 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु मैटेरियल रिकवरी फैसेलटी (M.R.F) की भौतिक एवं

वित्तीय प्रगति का विवरण

क्र0 सं0	निकाय का नाम	निदेशक के पत्र सं0–पीएस0एमयू/2361/427(6)/2019 दि0– 17.08.2019 द्वारा (MRF हेतु) निर्गत धनराशि	निर्माण की भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	नगर पालिका परिषद बांदा	33,67,000.00	शून्य	गाटा सं0–1481/1 कुल रकबा 10,000 वर्गमी0 ग्राम सभा हटेटी पुरवा में अधिग्रहण हेतु चिन्हिकंन कर निर्माण हेतु निविदा की कार्यवाही की जा रही है।
2	नगर पालिका परिषद अतर्रा	33,67,000.00	40 प्रतिशत	गाटा सं0–7856 रकबा–0.2470 हे0 अतर्रा ग्रामीण में अधिग्रहीत कर दि0 02.09.20 को निविदा आमंत्रित कर दि0 14.09.20 कार्यादेश जारी निर्माण कार्य प्रगति पर
3	नगर पंचायत, बबेरू	33,67,000.00	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	गाटा सं0–556 रकबा 0.207 ग्राम अछाह मे अधिग्रहीत कर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4	नगर पंचायत, नरैनी	33,67,000.00	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण	गाटा सं0–99 रकबा 0.2270 ग्राम खरौंच मे अधिग्रहीत कर निर्माण कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण है।
5	नगर पंचायत, तिन्दवारी	33,67,000.00	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण	गाटा सं0–499 रकबा–0.3500 हे0 बहादुरपुर ग्राम सभा जमुवां में अधिग्रहीत कर निर्माण कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण
6	नगर पंचायत, बिसण्डा	33,67,000.00	70 प्रतिशत	गाटा सं0–605 रकबा 0.498 हे0 ग्राम अमवा में अधिग्रहित निर्माण कार्य प्रगति पर है।
7	नगर पंचायत, ओरन	33,67,000.00	10 प्रतिशत कार्य पूर्ण	गाटा सं0–1935 रकबा 0.1940 हे0 ग्राम बाधा ओरन ग्रामीण में अधिग्रहीत कर कार्यादेश जारी कार्य प्रगति पर
8	नगर पंचायत, मटौंध	33,67,000.00	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	गाटा सं0–1857 रकबा 0.479 नगर पंचायत मटौंध की बंजर जमीन अधिग्रहीत कर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	कुल योग :–	2,69,36,000.00		–

नोटः–

1:– निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय के आवंटन आदेश सं0–पीएमयू/2937/427(6) 2019 लखनऊ दिनांक–07.11.2019 द्वारा जनपद के केवल नगरपालिका परिषद बांदा को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रोसेसिंग प्लांट निर्माण हेतु मु0–3,00,00,000.00 रू0 की धनराशि आवंटित की गयी है।

2:– ग्राम हटेहटीपुरवा स्थित गाटा सं0–1481/1 कुल रकबा 01 हे0 भूमि चिन्हित कर सी0एण्ड डी0एस0 को डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अन्तर्गत जिले से सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायतों द्वारा बॉय–लॉज बनाने हेतु निर्देश निर्गत किए जा चुके है। निकाय द्वारा तैयार किये गये बॉय–लॉज को निकायों के बोर्ड में पारित कराने सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण–

क्र0 सं0	निकाय का नाम	बॉय–लॉज निर्धारित कराने हेतु बोर्ड बैठक की तिथि	कृत कार्यवाही
1	2	3	4
1	नगर पालिका परिषद बांदा	04.01.2021	कतिपय कारणों से बोर्ड बैठक निर्धारित तिथि में सम्पन्न नही हो सकी । आगामी बोर्ड बैठक दिनांक–28.01.2021 को प्रस्तावित है।
2	नगर पालिका परिषद अतर्रा	30.12.2020	पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली मे केस के सम्बन्ध में प्रशासक मुख्यालय से बाहर होन के दृष्टिगत निर्धारित तिथि में बैठक आहुत नही की जा सकी। आगामी बोर्ड बैठक दिनांक–28.01.2021 को प्रस्तावित है।
3	नगर पंचायत, बबेरू	28.12.2020	बोर्ड बैठक मे प्रस्ताव पास करा लिया गया है अपत्ति हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है।
4	नगर पंचायत, नरैनी	26.12.2020	बोर्ड बैठक मे प्रस्ताव पास करा लिया गया है अपत्ति हेतु समाचार पत्र मे प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है।
5	नगर पंचायत, तिन्दवारी	28.12.2020	बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास करा लिया गया है अपत्ति हेतु समाचार पत्र मे प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है।
6	नगर पंचायत, बिसण्डा	29.12.2020	बोर्ड बैठक मे प्रस्ताव पास करा लिया गया है अपत्ति हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन की कार्सवाही की जा रही है।
7	नगर पचायत, ओरन	29.12.2020	बोर्ड बैठक मे प्रस्ताव पास करा लिया गया है अपत्ति हेतु समाचार पत्र मे प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है।
8	नगर पचायत, मटौंध	29.12.2020	बोर्ड बैठक मे प्रस्ताव पास करा लिया गया है अपत्ति हेतु समाचार पत्र मे प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है।

अमृत कार्यकम के अन्तर्गत बॉदा नगर हेतु 32 के0एल0डी0 का एफ0एस0टी0पी0 निर्माण कार्य किया जाना है। शासन आदेश सं0–414/2019/5386/ नौ–5–2019–196बजट/ 2018 दिनांक 31.01.2020 द्वारा 521.30 लाख स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष में किश्त के रूप में 85.20 लाख अवमुक्त किया गया कार्य प्रस्तावित है। जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 11.11.2020 को ग्राम–हटेटी पुरवा में 3000 वर्ग मी0 भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है। निमार्ण कार्य हेतु रूबीकोन इन्सपेक्शन प्रा0लि0 नई दिल्ली के साथ अनुबन्ध गठन कि कार्यवाही कार्य प्रारम्भ कि तिथि 08.09.2020 एवं कार्य समाप्ति कि तिथि 07.03.2021 प्रदान की जा चुकी है। फर्म द्वारा कार्य स्थल पर मृदा परीक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा स्ट्रक्चरल ड्राइंग/डिजाइन किया जाना अवशेष है जिसके उपरान्त ही निर्माण कार्य प्राथमिकता पर प्रारम्भ किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या सादर प्रेषित है।

(आनन्द कुमार सिंह)
जिलाधिकारी, बॉदा

कार्यालय जिलाधिकारी, बॉदा।

234/उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड

दिनांक– 11 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

मा0 अध्यक्ष, ओवर साइट कमेटी (एन0जी0टी0), उ0प्र0 पर्यावरण निदेशालय, गोमती नगर लखनऊ।

2. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।

11.1.2021

(आनन्द कुमार सिंह)
जिलाधिकारी, बॉदा

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
महोबा।

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष,
ओवर साइट कमेटी,
उ0प्र0 पर्यावरण निदेशालय,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या : 1575/एल0बी0ए0–21–मा0रा0ह0अ0/2020–21 दिनांक : जनवरी 14, ,2021

विषय :– मा0 ओवर साइट कमेटी द्वारा दिनांक 11.01.2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–102/2019 में पारित आदेश के क्रम में दिये गये निर्देशों की अद्यतन अनुपालन आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 11.01.2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में की गयी कार्यवाही की अनुपालन आख्या निम्नवत है:–

01. जमीन का चिन्हांकन कर बाउण्ड्रीबाल निर्माण:–

नगर पालिका परिषद, महोबा द्वारा सेनेटरी लैण्ड फिल एवं प्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना हेतु 1.760हे0 भूमि का चिन्हांकन कर बाउण्ड्रीबाल का निर्माण करने हेतु टेण्डर आमंत्रित कर लिया गया है तथा नगर पालिका परिषद, चरखारी द्वारा 1.000हे0 भूमि व नगर पंचायत, खरेला द्वारा 0.441हे0 भूमि व नगर पंचायत कबरई द्वारा 1.000हे0 भूमि का चिन्हांकन करके बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराया जा रहा है। नगर पंचायत, कुलपहाड़ द्वारा सेनेटरी लैण्ड फिल एवं प्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना हेतु 1.060हे0 जमीन का चिन्हांकन कर बाउण्ड्रीबाल का निर्माण करा लिया गया है।

02. एफ0आर0एफ0 सेन्टर :–

नगर पालिका परिषद, महोबा एवं नगर पंचायत कुलपहाड़ द्वारा एम0आर0एफ0 सेन्टर का निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सेग्रीगेशन का कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद चरखारी, नगर पंचायत खरेला एवं कबरई के एम0आर0एफ0 सेन्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, साथ ही अस्थायी एम0आर0एफ0 सेन्टर में कर्मचारियों के माध्यम से सेग्रीगेशन का कार्य किया जा रहा है।

03. कम्पोस्टिंग पिट :–

जनपद की सभी निकायों द्वारा एम0आर0एफ0 सेन्टर में गीले कचरे से ऑर्गेनिक कम्पोस्टिंग तैयार की जा रही है।

04. डोर–टू–डोर सोर्स सेग्रीगेशन विन्स :–

नगर पालिका परिषद, महोबा, चरखारी व नगर पंचायत, कुलपहाड़ एवं खरेला द्वारा डोर–टू–डोर सोर्स सेग्रीगेशन के लिये विन्स क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की

LBA-3

जा रही है। नगर पंचायत, कबरई द्वारा डोर–टू–डोर सेग्रीगेशन करने हेतु विन्स कय कर लिये गये है।

05. **लिगैसी वेस्ट :–**

जनपद की सभी निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण हेतु मिनी ट्रोमिल मशीन क्रय करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में सभी निकायों द्वारा पुराने कचरे को एनाकुलम लिविचड के माध्यम से डी–कम्पोस्ट करने की कार्यवाही की जा रही है।

06. **एफ0एस0टी0पी0 / एस0टी0पी0 :–**

नगर पालिका परिषद, महोबा के द्वारा एफ0एस0टी0पी0 प्लान्ट हेतु बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास करा लिया गया है। डी0पी0आर0 बनाने की कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

07. **जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन :–**

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद महोबा में स्थापित व संचालित सरकारी अस्पताल, पैथॉलोजी संख्या 21 चिन्हित हैं, जिनको राज्य बोर्ड द्वारा प्राधिकार निर्गत किया गया है । जनपद महोबा में स्थापित/संचालित प्राईवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल संख्या 78 चिन्हित हैं, जिसमें से 09 को प्राधिकार राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत किया गया है । 10 आयुर्वेदिक अस्पतालों को प्राधिकार न मिलने के कारण राज्य बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं अन्य 59 को प्राधिकार अप्राप्त होने के कारण पर्यावरणीय अधिनियम–1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा राज्य बोर्ड लखनऊ द्वारा दिनांक 10–08–2020 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू. 68,67,600/– अधिरोपित की गयी । उल्लेखनीय है कि उक्त 59 प्राईवेट नर्सिंग होम/क्लीनिक पर लगायी गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति माफ करने हेतु सम्बन्धित संचालकों द्वारा बोर्ड मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रीय कार्यालय बांदा से दिनांक 28–11–2019 व 20–06–2020 को बोर्ड मुख्यालय को प्रस्तुत प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया । उक्त प्रकरण पर बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ से निर्णय लिया जाना अपेक्षित है । उल्लखित 59 प्राईवेट नर्सिंग होम/क्लीनिक सभी आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी क्लीनिक हैं ।

जनपद महोबा के अन्तर्गत उक्त सभी प्राईवेट व सरकारी नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, पैथॉलाजी जो मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से पंजीकृत है, उन्हें जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेण्ट फैसिलिटी (एम.पी.सी.सी. झांसी) के द्वारा सभी सरकारी व प्राईवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक व पैथालॉजी से पंजीकृत कराकर जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका अनुश्रवण क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा द्वारा किया जाता है ।

08. **जनपद महोबा में स्थापित/संचालित मैरिज हॉल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स होटल का विवरण निम्नवत् है :–**

जनपद महोबा में स्थापित/संचालित मैरिज हाल, कामर्शियल काम्पलेक्स, होटल से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु उचित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित न किये जाने के कारण वैंकेट हाल एवं मैरिज हॉल–14, होटल रैस्टोरैंट–11 सहित कुल–25 उद्योगो के विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0– 33,75,000.0 दिनांक 08.07.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आर0सी0 के माध्यम से वसूली हेतु दिनांक 20.11.2020 व 07.01.2021 को नोटिस प्रेषित की गई है एवं दिनांक 08.07.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है तथा बोर्ड मुख्यालय के स्तर से पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस उद्योग प्रतिनिधि को प्राप्त करा दी गई है तथा उक्त उद्यमियों के विरूद्ध आर0सी0 के माध्यम से आर0सी0 की कार्यवाही की जा रही है।

प्रेषक,

माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2020 को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहुत की गई जिसमें होटल व्यसायीय, नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा एवं स्थानीय निकाय के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार सभी उद्यमियों की बैठक दिनांक 26.12.2020 एवं 06.01.2021 को की गई है, जिसमें सभी उद्यमियों को होटल व्यवसाय हेतु लागू नियम जैसे जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974, वायु प्रदूषण (नियंत्रण व निवारण) अधिनियम–1987 व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम–2016 एवं उद्योग की स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र व संचालन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण जानकारी दी गई है।

माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार सभी होटल व्यवसाय उद्यमियों को होटल व्यवसाय से सम्बन्धित नियम जैसे जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974, वायु प्रदूषण (नियंत्रण व निवारण) अधिनियम–1987 व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम–2016 एवं उद्योग की स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र व संचालन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण जानकारी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" व "आज" के माध्यम से दिनांक 22.11.2020 व बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.10.2020 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई थी।

उपरोक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा के द्वारा दिनांक 07.01.2021 को बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस को संलग्न करते हुए उद्योग को नोटिस प्रेषित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पृष्ठांकित की गई है।

आख्या सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

14/1/21

(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी, महोबा।

<u>संख्या व दिनांक : उपरोक्त</u>।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को अनुपालन आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0, सेक्टर–7 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
02. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
03. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी, महोबा।

LBA-3

प्रेषक,

जिलाधिकारी
हमीरपुर।

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष,
ओवर साइट कमेटी,
उ0प्र0पर्यावरण निदेशालय,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या/ 661 /एल.बी.ए.–21–मा0रा0ह0अ0 (2020–21) दिनांक 14-01-2021

विषयः– मा0 ओवर साइट कमेटी द्वारा दिनांक 11.01.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–102/2019 में पारित आदेश के कम में दिये गये निर्देशों की अद्यतन अनुपालन आख्या।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0 ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन मे ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 11.01.2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित वीडियों कांफ्रेसिंग में दिये गये निर्देशों के कम में की गयी कार्यवाही की अनुपालन आख्या भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय एवं मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुपालन की अध्यावधिक स्थिति प्राप्त कर मूल रूप से संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक–:यथोक्त।

भवदीय

13.1.21

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
हमीरपुर।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि–: निम्नलिखित को अनुपालन आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

1–सचिव/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0, सेक्टर–7 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
2–आयुक्त महोदय, चित्रकूट धाम मण्डल, बॉदा।
3–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा।

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
हमीरपुर।

सेवा में,

जिलाधिकारी
हमीरपुर।

विषयः— मा0 ओवर साइट कमेटी द्वारा दिनांक 11.01.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या—102/2019 में पारित आदेश के कम में दिये गये निर्देशों की अद्यतन अनुपालन आख्या।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0 ए0 संख्या—102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन मे ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 11.01.2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित वीडियों कांफ्रेसिंग में दिये गये निर्देशों के कम में की गयी कार्यवाही की अनुपालन आख्या भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में वॉछित अनुपालन आख्या निम्नवत् हैः—

1—जनपद हमीरपुर में नगरीय ठोस अपशिश्ट के निस्तारण हेतु अनुपालन आख्या—:

1.1— जमीन का चिन्हांकन कर बाउण्ड्रीवॉल :—
नगर पालिका परिषद, हमीरपुर में डम्पिंग साइट हेतु भूमि गाटा संख्या 251/1, रकबा 0.655, नगर पालिका परिषद, मौदहा में गाटा सं0 2936ख/2954 रकबा 1.489, नगर पालिका परिषद, राठ में गाटा संख्या 230 रकबा 1.052, नगर पंचायत कुरारा में गाटा संख्या 1177 रकबा 1.044, नगर पंचायत सुमेरपुर में गाटा संख्या 3562 रकबा4.00, नगर पंचायत गोहाण्ड में गाटा संख्या 1462 रकबा0.500, नगर पंचायत सरीला में गाटा संख्या 2387 रकबा 0.162 उपलब्ध है। नगर पालिका परिषद, हमीरपुर एवं मौदहा एवं नगर पंचायत गोहाण्ड, नगर पंचायत सरीला, द्वारा बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य करा लिया गया है तथा नगर पालिका परिषद, राठ, नगर पंचायत सुमेरपुर, व कुरारा में निर्माण हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

1.2— एम0आर0एफ0 सेन्टर :—
नगर पालिका परिषद, हमीरपुर, नगर पालिका परिषद, मौदहा, नगर पालिका परिषद राठ, नगर पंचायत सुमेरपुर, नगर पंचायत गोहाण्ड, नगर पंचायत सरीला के एम0आर0एफ0सेन्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा नगर पंचायत कुरारा द्वारा एम0आर0एफ0 सेन्टर के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। ठोस अपशिष्ट सेग्रीगेशन का कार्य अस्थायी रूप से किया जा रहा है।

1.3— कम्पोस्टिंग पिट :—
नगर पालिका परिषद, हमीरपुर, मौदहा, राठ व नगर पंचायत कुरारा, सुमेरपुर, गोहाण्ड, सरीला द्वारा अस्थाई रूप से ऑर्गेनिक कम्पोस्टिंग तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

1.4— डोर—टू—डोर सोर्स सेग्रीगेशन विन्स :—
जनपद हमीरपुर के समस्त नगर निकायों के कुल 124 वार्डो में डोर—टू—डोर सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य किया जा रहा है।

(कमशः—2पर)

1.5– <u>लिगैसी वेस्ट</u> :–
नगर पालिका परिषद, हमीरपुर, मौदहा, राठ व नगर पंचायत कुरारा, सुमेरपुर, गोहाण्ड, सरीला द्वारा पुराने कचरे के निस्तारण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

1.6– <u>एफ0एस0टी0पी0 / एस0टी0पी0</u> :–
नगर पालिका परिषद, हमीरपुर, मौदहा, राठ व नगर पंचायत कुरारा, सुमेरपुर, गोहाण्ड, सरीला की जनसंख्या अति न्यून होने के कारण एफ0एस0टी0पी / एस0टी0पी की आवश्यकता नही है। भविष्य में बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव के माध्यम से विचार किया जायेगा। उसके उपरान्त डी0पी0आर0 की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

2– <u>नगर निकाय में स्थापित / संचालित मैरिज हॉल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स होटल का विवरण</u> :–
जनपद हमीरपुर के नगर निकायों के अन्तर्गत कुल 11 गेस्टहाउस संचालित है। जिन्हें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति रूपये 15,12,500 /–आरोपित की गयी तथा दिनांक 08.07.2019 को बोर्ड द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित कर नोटिस निर्गत किया गया तथा क्षेत्रीय उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 20.11.2020 व दिनांक 07.01.2021 को नोटिस निर्गत की गयी।

आख्या सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित् है।

भवदीय

अधिशाषी अधिकारी / नोडल अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हमीरपुर।

प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) /
अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)
हमीरपुर।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हमीरपुर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

संख्याः—मु0चि0अ0 / जैव चिकि0 अप0 / 2020—21 / 4538 दिनांक 13-01-2021

महोदय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सम्बोधित क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा के पत्र संख्या 2270 / एनजीटी / ओए सं—102 / 19 / 21 दिनांक 07.01.2021 जोकि आपको पृष्ठांकित है, के क्रम में सादर अवगत कराना है कि जनपद हमीरपुर मे 42 सरकारी अस्पताल अवस्थित हैं तथा 25 प्राइवेट नर्सिंग होम / अस्पताल, क्लीनिक (10 प्राइवेट अस्पताल / नर्सिंग होम्स एवं 15 पैथालॉजी) के सापेक्ष 21 अधिकृत हैं। जिसमें 4 पैथालॉजी संस्थानों को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या मु0चि0अ0 / प्रा0 चि0पैथा0 / 2020—21 / 4516 दिनांक 12.01.2021 के द्वारा नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अन्दर जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (मैसर्स एम0पी0सी0सी0, कानपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बांदा में पंजीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमें से एक पैथालॉजी (वर्धमान पैथालॉजी बड़ा चौराहा मौदहा, हमीरपुर) का पंजीकरण करा लिया गया है एवं अन्य तीन पैथालॉजी केन्द्रों के पंजीकरण की कार्यवाही उनके द्वारा की जा रही है।

अतः उक्त से सम्बन्धित अनुपालन आख्या आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हमीरपुर।

Annexure-4

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा
34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं0–2,
चिल्ला रोड, बॉदा (उ0प्र0) पिन–210001

संदर्भ संख्या– 2270/एन०जी०टी/ओ०ए०सं० 102/19/21 दिनांक : 07/01/21

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : **माननीय एनजीटी में दायर ओ0ए0 संख्या 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय ओवर साईट कमेटी एनजीटी के द्वारा दिनांक 11.01.2021 को समय 11:00 बजे वीडियों कान्फ्रेसिंग आयोजित की गई है। उक्त प्रकरण में जनपद–बॉदा, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट की अद्यतन अनुपालन आख्या के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट व अनुपालन आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय
07/1/21
(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–बांदा/हमीरपुर/महोबा/चित्रकूट।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में समय–समय में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0टी0 द्वारा गठित ओवर साइट समिति के द्वारा दिनांक 11.01.2021 को समय 11:00 बजे वीडियों कान्फ्रेंसिंग जनपद–बॉदा हेतु अद्यतन प्रमुख विवरण निम्नवत् है–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019(आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में दिनांक 24.01.2019 को सुनवाई की गई जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया–

"**The issue raise unit this application is damage to environment by unauthorized operations are Marriage Hall, Nursing Home, Clinics, Hospitals, Commercial Complexes, Hotels and Others commercial establishment without requisites prior NOC/Consent to Operate from the U.P. Pollution Control Board in the District of Banda, Mahoba and Chitrakoot in clear violation of the Air Act-1981, water prevention and control of Act-1974 and the Environmental Protection Act-1986, Bio Medical Waste rules 2016 and Solid waste management rules-2016**"

1. जनपद बॉदा में स्थापित/ संचालित सरकारी अस्पताल व प्राईवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, पैथॉलाजी के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की अनुपालन आख्या निम्नवत् है–

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist Banda				
	No. of Unit	Authorization Granted	Non Compliance	Action Taken report by U.P.P.C.B
Gov. Hospitals	55	55	0	
Pvt. Hospitals, Pathology and Clinic	58	48	10	Showcause notice issued by Board under section EP Act 1986 under section(5) on Dated 11.07.2019

उपरोक्त सभी सरकारी व प्राइवेट नर्सिंग होम से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (मैसर्स एम0पी0सी0सी0 बिजौली झांसी) के द्वारा सभी सरकारी व प्राइवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक व पैथालॉजी से पंजीकृत कराकर उक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका अनुश्रवण बोर्ड मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है।

2. नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 की अनुपालन आख्या–

जनपद बॉदा में अच्छादित 03 नगर पालिका परिषद व 05 नगर पंचायत को बोर्ड मुख्यालय को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानो के अन्तर्गत नियम 22 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन निर्धारित समय सीमा में किये जाने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा(5) के अन्तर्गत अनुपालन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2019 को उक्त सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में सभी नगर पालिका व नगर पंचायत के द्वारा जमीन का चिन्हांकन कर बाउण्ड्रीवाल आदि का कार्य एवं कार्य योजना का कार्य प्रगति पर है।

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist Banda				
Sr. No.	Name of Local Bodies	Non-Compliance	Action Taken by Board	Compliance Status
1	Nagar Palika Parishad, Banda	---	Show cause notice issued by Board on Dt. 01-10-2019	Land Acquired by concern authority and DPR under process by concern local Bodies
2	Nagar Palika Parishad, Atarra	---	--Do--	--Do--
3	Nagar Panchayat Mataundh, Banda	---	--Do--	--Do--
4	Nagar Panchayat Tindwari, Banda	---	--Do--	--Do--
5	Nagar Panchayat Naraini, Banda	---	--Do--	--Do--
6	Nagar Panchayat Bisanda, Banda	---	--Do--	--Do--
7	Nagar Panchayat Baberu, Banda	---	--Do--	--Do--
8	Nagar Panchayat Oran, Banda	---	--Do--	--Do--

3. उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में बोर्ड के पत्रांक सं0—35994 / एन0जी0टी0 सेल—37 / 2019 दिनांक 16.05.2019 को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के कार्यालय आदेश द्वारा जनपद बॉदा में सहायक पर्यावरण अभियन्ता व प्रयोगशाला सहायक के द्वारा जनपद में स्थापित / संचालित मैरिज हाल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, कामर्शियल काम्पलेक्स, होटल व अन्य का सर्वे किया गया तथा आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई जिसके अनुसार की गई कार्यवाही कर विवरण निम्नवत् है—

जनपद बॉदा में स्थापित / संचालित मैरिज हाल, कामर्शियल काम्पलेक्स, होटल का विवरण निम्नवत है—

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist Banda					
Sr. No.	**Established and Operational**	**No. of Unit**	**Compliance**	**Non Compliance**	**Action Taken report by U.P.P.C.B (Environment Compensation imposed by Board)**
1	Banquet Hall/ Marriage Hall	21	0	21	Environment Compensation imposed by Board
2	Mall	3	0	3	Environment Compensation imposed by Board
3	Restaurant/ Hotels/ Lodge	18	0	18	Environment Compensation imposed by Board
Total		42	0	42	

1. उपरोक्तानुसार जनपद—बॉदा कुल 42 (वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट) के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उनके विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की

धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0– 63,68,750.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है तथा बोर्ड मुख्यालय के स्तर से पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस उद्योग प्रतिनिधि को प्राप्त करा दी गई है।

2. उपरोक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा के द्वारा दिनांक 20.11.2020 को बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस को संलग्न करते हुए उद्योग को नोटिस प्रेषित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पृष्ठांकित की गई है। (छायाप्रति संलग्न–1)
3. माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार जिलाधिकारी, बॉदा की अध्यक्षता में दिनांक 25. 11.2020 को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहुत की गई जिसमें होटल व्यसायीय, नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बॉदा एवं स्थानीय निकाय के पदाधिकारी उपस्थित थे। (कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न–2)
4. माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार सभी उद्यमियों की बैठक दिनांक 06.01.2021 को की गई है, जिसमें सभी उद्यमियों को होटल व्यवसाय हेतु लागू नियम जैसे जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974, वायु प्रदूषण (नियंत्रण व निवारण) अधिनियम–1987 व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम–2016 एवं उद्योग की स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र व संचालन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण जानकारी दी गई है। (छायाप्रति संलग्न–3)
5. माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार सभी होटल व्यवसाय उद्यमियों को होटल व्यवसाय से सम्बन्धित नियम जैसे जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974, वायु प्रदूषण (नियंत्रण व निवारण) अधिनियम–1987 व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम–2016 एवं उद्योग की स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र व संचालन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण जानकारी दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''आज'' के माध्यम से दिनांक 22.11.2020 व बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.10.2020 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई थी। (छायाप्रति संलग्न–4 व 5)

4. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के द्वारा शपथपत्र माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया है।
5. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को बैठक कर उक्त आदेश के अनुपालन में समीक्षा की गई।
6. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय द्वारा ऐक्शन प्लान बनाकर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के माध्यम से माननीय एन0जी0टी व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया।
7. जनपद– बॉदा में केन नदी में गिरने वाले सीवर ड्रेन/नाले की टैपिंग कर एवं ग्राम– कनवारा के निकट 4.0 एम0एल0डी0(आक्सीडेशन पाण्ड) का निर्माण उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया गया है जो कि वर्तमान में बन्द है, जिसके अद्यतन स्टेटस हेतु अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम बॉदा को दिनांक 08.12.2020 को पत्र प्रेषित किया गया है तथा दिनांक 07.01.2021 को जिलाधिकारी, बॉदा के साथ उ0प्र0 जल निगम बॉदा व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है, जिसमें उक्त आक्सीडेशन पाण्ड बन्द पाया गया।
8. उपरोक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा के द्वारा दिनांक 07.01.202 को बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस को संलग्न करते हुए उद्योग को नोटिस प्रेषित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पृष्ठांकित की गई है। (छायाप्रति संलग्न–6)

उपरोक्त सूचनाएं आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में समय–समय में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0टी0 द्वारा गठित ओवर साइट समिति के द्वारा दिनांक 11.01.2021 को समय 11:00 बजे वीडियों कान्फ्रेंसिंग जनपद–चित्रकूट हेतु अद्यतन प्रमुख विवरण निम्नवत् है–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019(आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में दिनांक 24.01.2019 को सुनवाई की गई जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया–

"The issue raise unit this application is damage to environment by unauthorized operations are Marriage Hall, Nursing Home, Clinics, Hospitals, Commercial Complexes, Hotels and Others commercial establishment without requisites prior NOC/Consent to Operate from the U.P. Pollution Control Board in the District of Banda, Mahoba and Chitrakoot in clear violation of the Air Act-1981, water prevention and control of Act-1974 and the Environmental Protection Act-1986, Bio Medical Waste rules 2016 and Solid waste management rules-2016"

1. जनपद चित्रकूट में स्थापित/ संचालित सरकारी अस्पताल व प्राईवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, पैथॉलाजी के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 की अनुपालन आख्या निम्नवत् है–

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist Chitrakoot				
	No. of Unit	Authorization Granted	Non Compliance	Action Taken report by U.P.P.C.B
Gov. Hospitals	36	36	0	
Pvt. Hospitals, Pathology and Clinic	26	22	04	Show cause notice issued by Board under section EP Act 1986 under section(5) on Dated 11.07.2019

उपरोक्त सभी सरकारी व प्राइवेट नर्सिंग होम से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (मैसर्स संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) के द्वारा सभी सरकारी व प्राइवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक व पैथालॉजी से पंजीकृत कराकर उक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका अनुश्रवण बोर्ड मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है।

2. नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 की अनुपालन आख्या–

जनपद चित्रकूट में अच्छादित 02 नगर पालिका परिषद व 01 नगर पंचायत को बोर्ड मुख्यालय से नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के प्राविधानो के अन्तर्गत नियम–22 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन निर्धारित समय सीमा में किये जाने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा(5) के अन्तर्गत अनुपालन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2019 को उक्त सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में सभी नगर पालिका व नगर पंचायत के द्वारा जमीन का चिन्हांकन कर बाउण्ड्रीवाल आदि का कार्य एवं कार्य योजना का कार्य प्रगति पर है।

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist Chitrakoot				
Sr. No.	Name of Local Bodies	Non-Compliance	Action Taken by Board	Compliance Status
1	Nagar Palika Parishad, Karwi, Chitrakoot	---	Show cause notice issued by Board on	Land Acquired by concern authority and DPR under

			Dt. 01-10-2019	process by concern local Bodies
2	Nagar Panchayat Manikpur, Chitrakoot	---	--Do--	--Do--
3	Nagar Panchayat Rajapur, Chitrakoot	---	--Do--	--Do--

3. उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में बोर्ड के पत्रांक सं0–35994/एन0जी0टी0 सेल–37/2019 दिनांक 16.05.2019 को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के कार्यालय आदेश द्वारा जनपद चित्रकूट में क्षेत्रीय अधिकारी व वैज्ञानिक सहायक के द्वारा जनपद में स्थापित/संचालित मैरिज हाल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, कामर्शियल काम्पलेक्स, होटल व अन्य का सर्वे किया गया तथा आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई जिसके अनुसार की गई कार्यवाही कर विवरण निम्नवत् है–

जनपद चित्रकूट में स्थापित/संचालित मैरिज हाल, कामर्शियल काम्पलेक्स, होटल का विवरण निम्नवत है–

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist Chitrakoot					
Sr. No.	**Established and Operational**	**No. of Unit**	**Compliance**	**Non Compliance**	**Action Taken report by U.P.P.C.B (Environment Compensation imposed by Board)**
1	Vanket Hall/ Marriage Hall	14	0	14	Environment Compensation imposed by Board
2	Mall	0	0	0	Environment Compensation imposed by Board
3	Restaurant/ Hotels/ Lodge	9	0	9	Environment Compensation imposed by Board
Total		23	0	23	

1. उपरोक्तानुसार जनपद–चित्रकूट में कुल 23 (वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट) के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति का अनुपालन न करने पर उनके विरूद्ध जल अधिनियम–1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0– 19,31,250.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है तथा बोर्ड मुख्यालय के स्तर से पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस उद्योग प्रतिनिधि को प्राप्त करा दी गई है।
2. उपरोक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा के द्वारा दिनांक 20.11.2020 को बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस को संलग्न करते हुए उद्योग को नोटिस प्रेषित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पृष्ठांकित की गई है। (छायाप्रति संलग्न–1)
3. माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार सभी उद्यमियों की बैठक दिनांक 19.10.2020 को की गई है, जिसमें सभी उद्यमियों को होटल व्यवसाय हेतु लागू नियम जैसे जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974, वायु प्रदूषण (नियंत्रण व निवारण) अधिनियम–1987 व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम–2016 एवं उद्योग की स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र व संचालन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण जानकारी दी गई है। (छायाप्रति संलग्न–2)
4. माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार सभी उद्यमियों की बैठक दिनांक 19.10.2020 को की गई है, जिसमें सभी उद्यमियों को होटल व्यवसाय हेतु लागू नियम जैसे जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974, वायु प्रदूषण (नियंत्रण व निवारण) अधिनियम–1987 व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम–2016 एवं उद्योग की स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र व संचालन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण जानकारी दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''आज'' के माध्यम से दिनांक 22.11.2020 व बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.10.2020 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई थी। (छायाप्रति संलग्न–3 व 4)

4. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के द्वारा शपथपत्र माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया है।
5. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को बैठक कर उक्त आदेश के अनुपालन में समीक्षा की गई।
6. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय द्वारा ऐक्शन प्लान बनाकर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के माध्यम से माननीय एन0जी0टी व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया।

उपरोक्त सूचनाएं आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

<u>माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में समय–समय में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0टी0 द्वारा गठित ओवर साइट समिति के द्वारा दिनांक 11.01.2021 को समय 11:00 बजे वीडियों कान्फ्रेंसिंग जनपद–महोबा हेतु अद्यतन प्रमुख विवरण निम्नवत् है–</u>

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019(आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में दिनांक 24.01.2019 को सुनवाई की गई जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया–

"The issue raise unit this application is damage to environment by unauthorized operations are Marriage Hall, Nursing Home, Clinics, Hospitals, Commercial Complexes, Hotels and Others commercial establishment without requisites prior NOC/Consent to Operate from the U.P. Pollution Control Board in the District of Banda, Mahoba and Chitrakoot in clear violation of the Air Act-1981, water prevention and control of Act-1974 and the Environmental Protection Act-1986, Bio Medical Waste rules 2016 and Solid waste management rules-2016"

1. जनपद महोबा में स्थापित/ संचालित सरकारी अस्पताल व प्राईवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, पैथॉलाजी के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुपालन में बोर्ड द्वारा गठित समिति के द्वारा सर्वे कर रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसके अनुपालन में बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है–

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist Mahoba				
	No. of Unit	Authorization Granted	Non Compliance	Action Taken report by U.P.P.C.B
Gov. Hospitals	21	21	0	
Pvt. Hospitals, Pathology and Clinic	78	09	69	Show cause notice issued by Board under section EP Act 1986 under section(5) on Dated 11.07.2019

उपरोक्त सभी सरकारी व प्राइवेट नर्सिंग होम से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (मैसर्स एम0पी0सी0सी0 बिजौली झांसी) के द्वारा सभी सरकारी व प्राइवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक व पैथालॉजी से पंजीकृत कराकर उक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका अनुश्रवण बोर्ड मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है।

2. जनपद महोबा में अच्छादित 05 नगर पालिका व नगर पंचायत को बोर्ड मुख्यालय को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानो के अन्तर्गत नियम 22 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन निर्धारित समय सीमा में किये जाने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा(5) के अन्तर्गत अनुपालन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2019 को उक्त सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में सभी नगर पालिका व नगर पंचायत के द्वारा जमीन का चिन्हांकन कर बाउण्ड्रीवाल आदि का कार्य एवं कार्य योजना का कार्य प्रगति पर है।

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist Mahoba				
Sr. No.	Name of Local Bodies	Non-Compliance	Action Taken by Board	Compliance Status
1	Nagar Palika Parishad, Mahoba	---	Show cause notice issued by Board on Dt. 01-	Land Acquired by concern authority and DPR under process by

			10-2019	concern local Bodies
2	Nagar Palika Parishad, Charkhari	---	--Do--	--Do--
3	Nagar Panchayat Kabrai, Mahoba	---	--Do--	--Do--
4	Nagar Panchayat Kharela, Mahoba	---	--Do--	--Do--
5	Nagar Panchayat Kulpahar, Mahoba	---	--Do--	--Do--

3. उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में बोर्ड के पत्रांक सं0—35994 / एन0जी0टी0 सेल—37 / 2019 दिनांक 16.05.2019 को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के कार्यालय आदेश द्वारा जनपद महोबा में सहायक पर्यावरण अभियन्ता व वैज्ञानिक सहायक के द्वारा जनपद में स्थापित / संचालित मैरिज हाल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, कामर्शियल काम्पलेक्स, होटल व अन्य का सर्वे किया गया तथा आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई जिसके अनुसार की गई कार्यवाही कर विवरण निम्नवत् है—

जनपद महोबा में स्थापित / संचालित मैरिज हाल, कामर्शियल काम्पलेक्स, होटल का विवरण निम्नवत है—

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist Mahoba					
Sr. No.	**Established and Operational**	**No. of Unit**	**Compliance**	**Non Compliance**	**Action Taken report by U.P.P.C.B (Environment Compensation imposed by Board)**
1	Banquet Hall/ Marriage Hall	14	0	14	Environment Compensation imposed by Board
2	Mall	0	0	0	Environment Compensation imposed by Board
3	Restaurant/ Hotels/ Lodge	11	0	11	Environment Compensation imposed by Board
Total		25	0	25	

1. उपरोक्तानुसार जनपद— महोबा कुल 25 (बैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरेंट) के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उनके विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0— 33,75,000.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है तथा बोर्ड मुख्यालय के स्तर से पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस उद्योग प्रतिनिधि को प्राप्त करा दी गई है।
2. उपरोक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा के द्वारा दिनांक 20.11.2020 को बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस को संलग्न करते हुए उद्योग को नोटिस प्रेषित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त—2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पृष्ठांकित की गई है। (छायाप्रति संलग्न—1)
3. माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार जिलाधिकारी, महोबा की अध्यक्षता में दिनांक 24. 11.2020 को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहुत की गई जिसमें होटल व्यसायीय, नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा एवं स्थानीय निकाय के पदाधिकारी उपस्थित थे। (कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न—2)
4. माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार सभी उद्यमियों की बैठक दिनांक 26.12.2020 व 06.01.2021 को की गई है, जिसमें सभी उद्यमियों को होटल व्यवसाय हेतु लागू नियम जैसे जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम—1974, वायु प्रदूषण (नियंत्रण व निवारण)

अधिनियम–1987 व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम–2016 एवं उद्योग की स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र व संचालन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण जानकारी दी गई है। (छायाप्रति संलग्न–3)

5. माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार सभी होटल व्यवसाय उद्यमियों को होटल व्यवसाय से सम्बन्धित नियम जैसे जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974, वायु प्रदूषण (नियंत्रण व निवारण) अधिनियम–1987 व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम–2016 एवं उद्योग की स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र व संचालन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण जानकारी दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''आज'' के माध्यम से दिनांक 22.11.2020 व बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.10.2020 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई थी। (छायाप्रति संलग्न–4 व 5)

4. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के द्वारा शपथपत्र माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया है।
5. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को बैठक कर उक्त आदेश के अनुपालन में समीक्षा की गई।
6. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय द्वारा ऐक्शन प्लान बनाकर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के माध्यम से माननीय एन0जी0टी व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया।

उपरोक्त सूचनाएं आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में समय–समय में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0टी0 द्वारा गठित ओवर साइट समिति के द्वारा दिनांक 11.01.2021 को समय 11:00 बजे वीडियों कान्फ्रेंसिंग जनपद–हमीरपुर हेतु अद्यतन प्रमुख विवरण निम्नवत् है–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019(आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में दिनांक 24.01.2019 को सुनवाई की गई जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया–

"The issue raise unit this application is damage to environment by unauthorized operations are Marriage Hall, Nursing Home, Clinics, Hospitals, Commercial Complexes, Hotels and Others commercial establishment without requisites prior NOC/Consent to Operate from the U.P. Pollution Control Board in the District of Banda, Mahoba and Chitrakoot in clear violation of the Air Act-1981, water prevention and control of Act-1974 and the Environmental Protection Act-1986, Bio Medical Waste rules 2016 and Solid waste management rules-2016"

1. नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 की अनुपालन आख्या–

जनपद हमीरपुर में अच्छादित 03 नगर पालिका परिषद व 04 नगर पंचायत को बोर्ड मुख्यालय से नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के प्राविधानो के अन्तर्गत नियम–22 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन निर्धारित समय सीमा में किये जाने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा(5) के अन्तर्गत अनुपालन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2019 को उक्त सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में सभी नगर पालिका व नगर पंचायत के द्वारा जमीन का चिन्हांकन कर बाउण्ड्रीवाल आदि का कार्य एवं कार्य योजना का कार्य प्रगति पर है।

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist. Hamirpur				
Sr. No.	Name of Local Bodies	Non-Compliance	Action Taken by Board	Compliance Status
1-	Nagar Palika Parishad, Hamirpur.	---	Show cause notice issued by Board on Dt. 01-10-2019	Land Acquired by concern authority and DPR under process by concern local Bodies
2-	Nagar Palika Parishad, Rath, Hamirpur.	---	Show cause notice issued by Board on Dt. 01-10-2019	Land Acquired by concern authority and DPR under process by concern local Bodies
3-	Nagar Palika Parishad, Maudaha Hamirpur.	---	Show cause notice issued by Board on Dt. 01-10-2019	Land Acquired by concern authority and DPR under process by concern local Bodies
4-	Nagar Panchayat kurara, Hamirpur	---	--Do--	--Do--
5-	Nagar Panchayat Gohand, Hamirpur	---	--Do--	--Do--
6-	Nagar Panchayat Sarila, Hamirpur	---	--Do--	--Do--
7-	Nagar Panchayat Sumerpur, Hamirpur	---	--Do--	--Do--

2. जनपद हमीरपुर में स्थापित/ संचालित सरकारी अस्पताल व प्राईवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, पैथॉलाजी के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 की अनुपालन आख्या निम्नवत् है–

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist. Hamirpur				
	No. of Unit	Authorization Granted	Non Compliance	Action Taken report by U.P.P.C.B
Gov. Hospitals	42	42	0	
Pvt. Hospitals, Pathology and Clinic	25	21	04	Show cause notice issued by Board under section EP Act 1986 under section(5) on Dated 11.07.2019

उपरोक्त सभी सरकारी व प्राइवेट नर्सिंग होम से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (मैसर्स एम0पी0सी0सी0, कानपुर) के द्वारा सभी सरकारी व प्राइवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक व पैथालॉजी से पंजीकृत कराकर उक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका अनुश्रवण बोर्ड मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है।

3. जनपद हमीरपुर में स्थापित/संचालित मैरिज हाल, कामर्शियल काम्पलेक्स, होटल का विवरण निम्नवत है–

Status of NGT O.A. 102/2019 Dist. Hamirpur					
Sr. No.	**Established and Operational**	**No. of Unit**	**Compliance**	**Non Compliance**	**Action Taken report by U.P.P.C.B (Environment Compensation imposed by Board)**
1	Vanket Hall/ Marriage Hall	11	0	11	Environment Compensation imposed by Board
2	Mall	0	0	0	--------
3	Restaurant/ Hotels/ Lodge	0	0	0	-----
	Total	11	0	11	

1. उपरोक्तानुसार जनपद–हमीरपुर में कुल 11 (वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट) के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति का अनुपालन न करने पर उनके विरूद्ध जल अधिनियम–1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0– 15,12,500.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है तथा बोर्ड मुख्यालय के स्तर से पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस उद्योग प्रतिनिधि को प्राप्त करा दी गई है।
2. उपरोक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा के द्वारा दिनांक 20.11.2020 को बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस को संलग्न करते हुए उद्योग को नोटिस प्रेषित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पृष्ठांकित की गई है। (छायाप्रति संलग्न–1)
3. माननीय ओवर साइट कमेंटी के आदेशानुसार सभी उद्यमियों को होटल व्यवसाय हेतु लागू नियम जैसे जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974, वायु प्रदूषण (नियंत्रण व निवारण) अधिनियम–1987 व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम–2016 एवं उद्योग की स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र व संचालन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण जानकारी दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''आज'' के माध्यम से दिनांक 22.11.2020 व बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.10.2020 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई थी। (छायाप्रति संलग्न–3 व 4)

4. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के द्वारा शपथपत्र माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया है।
5. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को बैठक कर उक्त आदेश के अनुपालन में समीक्षा की गई।
6. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय द्वारा ऐक्शन प्लान बनाकर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के माध्यम से माननीय एन0जी0टी व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया।

उपरोक्त सूचनाएं आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।